पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

– 06/2017

उनवान

इकबाल पिता गफूर पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
[illegible] पुत्र गफूर पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
[illegible] पुत्र गफूर पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
बाबु पिता रसूल पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
हाजरा बेवा रसूल पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
बातुन पुत्री रसूल पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
जमीला पुत्र रसूल पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
[illegible] पिता सतार पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
शाकीर पिता सतार पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
10 सहीना बानु पुत्री सतार पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
11 हसनाबानु पुत्री सतार पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
12 शबीनाबानु पुत्री सतार पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
13 सलमा बानु पत्नि सतार पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थी

बनाम

1 सुल्तान पिता रहीमबक्ष पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा(डिलिट)
2 मोलु पिता बहादुर पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
3 हकीम पिता रहीमबक्ष पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
4 फतेह मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
5 लादुखा पिता रहीमबक्ष पिनारा, निवासी राक्षी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाडा

.. विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– श्री कृष्ण कुमार जीनगर – वकील प्रार्थी

<u>–:: आदेश ::–</u>

दिनांक 07.03.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम राक्षी पटवार मण्डल राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी संयुक्त** खातेदारी की भूमि खाता संख्या 12 के आराजी संख्या **774, 796 कुल किता 2 कुल रकबा 2–03 बीघा एवं खाता संख्या 265 के आराजी संख्या 761, 786 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 बीघा एवं खाता संख्या 402 के आराजी संख्या 740, 766, 769, 790 कुल किता 4 कुल रकबा 1.17 बीघा** दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नही होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। **प्रार्थी** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। प्रार्थी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र न्याय हित में स्वीकार योग्य है।

<u>**–:: आदेश::–**</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम राक्षी पटवार मण्डल **राक्षी** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ने प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 12 के आराजी संख्या **774, 796 कुल किता 2 कुल रकबा 2–03** बीघा एवं खाता संख्या 265 के **आराजी संख्या 761, 786 कुल किता 2 कुल रकबा** 1.00 **बीघा एवं खाता संख्या 402 के आराजी संख्या** 740, 766, 769, 790 **कुल किता 4 कुल रकबा 1.17 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.2.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा